

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

दिल्ली में **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs)**, जो 2019 की FTSCs योजना के तहत बलात्कार और बाल यौन शोषण मामलों की त्वरित सुनवाई के लिये स्थापित किया गया था, ने **जून 2025 तक केवल लगभग 43%** मामलों का ही नपिटारा किया है।

- यह महत्वपूर्ण है क्योंकि धीमी नपिटान दर, **समरपति तंत्र होने के बावजूद, न्याय प्रणाली** की इतनी गंभीर अपराधों को शीघ्रता से सुलझाने की क्षमता पर जनवशियास को कमजोर करती है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना क्या है?

- **योजना के बारे में:** यह **वधि एवं न्याय मंत्रालय** के अंतर्गत एक **केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य नरिभया कोष** के माध्यम से **फास्ट ट्रैक कोर्ट** की स्थापना करना है।
 - इस योजना के तहत, प्रत्येक **FTSC** को **प्रतिवर्ष कम-से-कम 165** मामलों का नपिटारा करने का कार्य सौंपा गया है।
 - इस योजना को **दो बार** बढ़ाया गया है, जिसमें नवीनतम वस्तितार **31 मार्च, 2026** तक वैध है, जिसका **लक्ष्य 790 FTSCs** स्थापित करना है।
- **FTSC की आवश्यकता:**
 - **मामला लंबित रहने की समस्या:** बलात्कार और POCsO मामलों के बड़े लंबित मामलों को लेकर चतिति सर्वोच्च न्यायालय ने **जुलाई, 2019** में नरिदेश दिया कि जिन जिलों में **100 से अधिक लंबित POCsO** मामले हैं, वहाँ विशेष (स्पेशल कोर्ट) विशेष न्यायालय स्थापित की जाएँ।
 - **समय पर न्याय:** POCsO अधिनियम, 2012 के अनुसार विशेष न्यायालयों को अपराध का संज्ञान लेने की तारीख **सेक वर्ष के भीतर मुकदमे का नपिटारा** करना अनविर्य है।
 - **नविरण:** कठोर दंड अपराध को रोक सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता समयबद्ध सुनवाई और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलने पर नरिभर करती है।
- **प्रदर्शन:** **जून 2025 तक, 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स** (जिनमें **392 विशेष POCsO अदालतें** शामिल हैं) कार्परत हैं, जिनोंने केवल वर्ष 2024 में ही **96%** नपिटान दर हासिल की है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **अपर्याप्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs):** **1,023 स्वीकृत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स** में से केवल लगभग **700 ही कार्परत** हैं और अनुमान के अनुसार लंबित मामलों को खतम करने के लिये लगभग **1,000 और अदालतों** की आवश्यकता है।
- **गुणवत्ता संबंधी चतियाँ:** कुछ आलोचकों का कहना है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स **“राजनीतिक दिखावा”** हैं, क्योंकि एक मामले को तेजी से नपिटाने के लिये वही न्यायाधीश लगाए जाते हैं, जिससे **अन्य मामलों में देरी** हो जाती है।
- **वशिषीकृत सहयोग का अभाव:** कई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में पीड़ित-हतिषी सुवधियों का अभाव है, जैसे—उत्तरजीवियों के लिये संवेदनशील गवाह बयान केंद्र और महिला अभियोजक या परामर्शदाता, जो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को कनि उपायों से मज़बूत बनाया जा सकता है?

- **न्यायिक सुधार:** POCsO मामलों के लिये विशेष न्यायाधीशों की नयिकृति, संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना और महिला लोक अभियोजकों की उपलब्धता सुनश्चिति करना।
- **पीड़ित सहायता सुवधियाँ:** पीड़ितों के बयान दर्ज करने और बच्चों के अनुकूल सुनवाई बंद कमरे में आयोजित करने के लिये सभी जिलों में **संवेदनशील गवाह बयान केंद्र (VWDC)** स्थापित करना। FTSC योजना के अनुसार, पूर्व-परीक्षण और सुनवाई सहायता के लिये **FTSC में बाल मनोवैज्ञानिकों** की तैनाती कीजिये।
- **न्यायालयों में प्रौद्योगिकी:** ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, LCD प्रोजेक्टर और ई-फाइलिंग तथा डिजिटल रिकॉर्ड के लिये बेहतर आईटी

प्रणालियों के साथ न्यायालय कक्षों का उन्नयन करना ।

- **फॉरेंसिक सुदृढीकरण:** लंबित मामलों को तेजी से नपिटाने और त्वरति न्याय के लिये समय पर DNA रिपोर्ट प्रदान करने हेतु फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का वसितार और कर्मचारियों को प्रशिक्षति करना ।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा उनकी दक्षता और पीड़ति संवेदनशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइए ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की स्थितिपर प्रकाश डालिये । (वर्ष 2016)

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रतियौन-उत्पीडन के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं । इस कुकृत्य के वरिद्ध वदियमान वधिकि उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है । इस संकट से नपिटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये । (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/fast-track-special-courts-3>

